20

न्यायालय सहायक कलक्टर अरांई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 71/2020

1. प्रभुलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झाडोल हाल निवासी शिवलोक कालोनी मदनगंज किशगनढ जिला अजमेर राज.।
2. राधेश्याम पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झाडोल वाया रामसर तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
3. कैलाशचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी किशगनढ रोड अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
4. शंकरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी किशगनढ रोड अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र ब्रह्मानन्द जाति ब्राह्मण निवासी झाडोल तहसील अरांई जिला अजमेर राज।
   1/1 रमेशचन्द पुत्र रामगोपाल
   1/2 सुरेशचन्द पुत्र रामगोपाल
   1/3 महेशचन्द पुत्र रामगोपाल
2. नाथू पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी मोहम्मदगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर राज.।
3. जसराम पुत्र उगमा जाति जाट निवासी मोहम्मदगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर राज.।
4. जसराज पुत्र उगमा जाति जाट निवासी मोहम्मदगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर राज.।
5. सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक शाखा अरांई जरिये शाखा प्रवन्धक।
6. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सराना तहसील सरवाड जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राज.।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई जिला अजमेर राज.।
9. उपपंजीयक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
10. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ जिला अजमेर राज.।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

उपस्थितः— वकील वादी श्री योगेश शर्मा
वकील प्रतिवादी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 22.11.2024

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की और से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,53,91 188 राज0 का0 अधि0के तहत उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में पेश किया जो दिनांक 03.10.2013 को जांच बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 225/2013 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण नवगठित उपखण्ड न्यायालय अराई में उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 71/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने दावा किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम झाडौल तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 626, 260, 262, 431, 218, 220, 261, 678/219 कुल 08 किता कुल रकबा 85 बीघा 06 बीस्वा 10 बीस्वांशी भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य वादअधीन भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 29.12.2001 को आपसी सहमति से 100/— के स्टाम्प पर तहरीर कर गवाहान के समक्ष किशनगढ न्यायालय परिसर में।

सहायक कलक्टर
अरांई

तथा बंटवारा तस्दीक करवा दिया गया था किन्तु बंटवारे का आमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया जिसके कारण उक्त तहरीर के अनुसार वादअधीन भूमि का बंटवारा नहीं हो सका। उक्त तहरीर होने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खाता संख्या 94 में से अपने 1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 को कर दिया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी आज भी उक्त तहरीरी बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज है। वकील अधिवक्ता ने वाद पत्र में निवेदन किया कि उक्त तहरीरी बंटवारे के अनुसार वादअधीन भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सो का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे तथा उसी के अनुसार वादअधीन भूमि का विभाजन कर दिया जावें।

2. वाद में दिनांक 26.07.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01/1 से 1/3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते आपसी राजीनामा व सहमति से वादअधीन भूमि का विभाजन करने हेतु पेश किया गया जिसपर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा आदेशिका पर सहमति में हस्ताक्षर का अंकन किया गया। न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने तथा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही के अनुक्रम में दिनांक 26.07.2024 को प्राथमिक डिक्री व आदेश जारी किये गये जिसमें आपसी सहमति के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान के मध्य वादअधीन भूमि में पृथक पृथक हिस्से घोषित किये गये तथा तहसीलदार अरांई को कमिश्नर नियुक्त कर वादअधीन भूमि के बंटवारे हेतु निर्देशित किया गया।

3. दिनांक 18.10.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया। दिनांक 18.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन पारिवारिक तहरीरी बंटवारा के अनुसार नहीं किया गया है तथा प्रतिवादीगणों को नोटिस दिये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन नियमानुसार ही किया गया है, हमारे द्वारा पत्रावली, प्राथमिक डिक्री एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिससे ताईद है कि वादअधीन भूमि का विभाजन कब्जे को प्राथमिकता देते हुये प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही किया गया है। उपर्युक्त विवेचन तथा वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा मूल वाद पर बहस सुनी गई।

4. अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र में वर्णित ग्राम झाडौल तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 626, 260, 262, 431, 218, 220, 261, 678/219 कुल कुल 08 किता कुल रकबा 85 बीघा 06 बीस्वा 10 बीस्वांशी का वादी व प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी सहमति प्रा. पत्र के अनुसार एवं न्यायालय हाजा द्वारा नियुक्त कमिश्नर तहसीलदार अरांई द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.10.2024 के अनुसार बंटवारा किया जाता है। कमिश्नर रिपोर्ट में खसरा संख्या 260, 261, 262 में तरमीम संबंधी त्रुटि का उल्लेख कर निवेदन किया गया कि तरमीम पूर्ववर्ती नक्शें के आधार पर की जावे अतः वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 260, 261 व 262 की तरमीम पूर्ववर्ती नक्शे एवं बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार की जावे। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना हेतु तहरीर जारी हो।

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा(हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1.	कैलाशचन्द पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा अरांई, राधेश्याम पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/4 राहिन बी.ओ.बी. शाखा दादिया, प्रभुलाल शंकरलाल पुत्रगण बिहारीलाल हिस्सा 1/2 ब.हि. व. जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	626/2 431/2 262/2	1.2212 हैक्टैयर 5.1857 हैक्टैयर 0.7685 हैक्टैयर	बा. अव्वल प.बारानी(1.5290) बंजर01(0.1456) बारानी01(3.5111) बंजर01	किस्मानुसार	पीला
		कुल किता 03	कुल रकबा 07.1754 हैक्टैयर			
2.	महेशचन्द सुरेशचन्द रमेशचन्द पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा 20431/53074 व.हि.ब. जाति ब्राहमण सा देह राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ, जसराज जसराम नाथू पुत्रगण उगमाराम जाति जाट हिस्सा 32643/53074 व.हि.ब. सा. मोहम्मदगढ तहसील सरवाड राहिन बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सराना सरवाड खातेदार	626/1	05.3074 हैक्टैयर	बा. अव्वल	किस्मानुसार	नारंगी

सहायक कलक्टर
अरांई

		कुल किता 01	कुल रकबा 05.3074 हैक्टेयर			
	महेशचन्द सुरेशचन्द रमेशचन्द पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा पूर्ण ब.हि.ब. जाति ब्राहमण सा देह राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ,	431/1 262/1	0.1699 हैक्टैयर 0.7686 हैक्टैयर	बारानी01 बंजर01(0.5259) बारानी01(0.2427)	किस्मानुसार	हरा
		कुल किता 02	कुल रकबा 00.9385 हैक्टेयर			
4.	महेशचन्द सुरेशचन्द रमेशचन्द पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा 1/2 ब.हि.ब. जाति ब्राहमण सा देह राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ, कैलाशचन्द पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/8 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा अराई, राधेश्याम पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/8 राहिन बी.ओ.बी. शाखा दादिया, प्रभुलाल शंकरलाल पुत्रगण बिहारीलाल हिस्सा 1/4 ब.हि.ब. जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	218 220 260 261 678/219	0.0809 हैक्टैयर 0.1133 हैक्टैयर 0.1214 हैक्टैयर 0.0405 हैक्टैयर 0.0243 हैक्टैयर	गै.मु.चाह गै.मु.चाह गै.मु.पाल गै.मु.चाह बंजर02	किस्मानुसार	आसमानी नीला
		कुल किता 05	कुल रकबा 00.3804 हैक्टेयर			

आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
अराई

सहायक कलक्टर
अराई